	(7) इस विनियम में शामिल इन सबके बावजूद प्रथम कैप्टन उप धारा (2) के तहत बुलाई गई बैठक और उप धारा (4) के तहत ग्राम साधारण निकाय द्वारा बुलाई बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा और ऐसी कार्यवाही के दौरान ऐसे प्रस्ताव में या अन्य मामलें में मतदान नहीं कर सकेगा, लेकिन उसे ऐसे बैठक में बोलने या भाग लेने का अधिकार होगा ।	
	21. (1) ग्राम परिषद के किसी सदस्य द्वारा सैंकेंड कैप्टन के विरूद्ध " अविश्वास प्रस्ताव" उस तरीके से जैसा निर्धारित किया गया है, प्रस्तावित किया जा सकता है । (2) प्रस्ताव रखने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर इस पर विचार विमर्श के लिए और अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय करने हेतु ग्राम परिषद की विशेष बैठक बुलाई जाएगी । (3) यदि प्रस्ताव ग्राम परिषद के कुल सदस्यों की कुल संख्या का दो तिहाई सदस्यों की बहुमत से प्रस्तावित की जाती है, सैंकेंड कैप्टन का पद, प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की तारीख से समाप्त हो जाएगी । (4) इस विनियम में इन सबके बावजूद सैंकेंड कैप्टन उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा, जिसमें उसके विरूद्ध प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव में विचार--विमर्श किया जाएगा, लेकिन बैठक में बोलने और बैठक की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार उसे प्राप्त होगा ।	सैंकेंड कैप्टन के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव
	22. ग्राम परिषद के किसी सीट अथवा फर्स्ट कैप्टन तथा सैंकेंड कैप्टन के पद की आकस्मिक रिक्ति को ग्राम परिषद की अवधि के शेष भाग के लिए विनियम के उपबन्धों के अनुसार चुनाव के माध्यम से भरा जाएगा । बशर्ते कि जहाँ कोई सीट या फर्स्ट कैप्टन का पद किसी महिला के लिए आरक्षित है, तो महिला के अलावा कोई अन्य व्यक्ति रिक्ति को भरे जाने के लिए पात्र नहीं होगा ।	आकस्मिक रिक्ति
	23. (1) प्रत्येक ग्राम परिषद में एक सचिव होंगे जिनकी नियुक्ति उपायुक्त द्वारा की जाएगी और उनके वेतन और भत्ता का आहरण ग्राम परिषद की निधि से की जाएगी । (2) सचिव ग्राम परिषद के कार्यालय का प्रभारी होगा और इस विनियम अथवा उसके तहत बनाए गए नियमों अथवा उप नियमों द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों और कर्त्तव्यों का निर्वाह करेगा । (3) अनुशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रशासक द्वारा बनाए गए नियमों की शर्तों पर सचिव फर्स्ट कैप्टन के नियंत्रण के तहत सभी कार्यों को करेगा जिसके प्रति ग्राम परिषद के लिए वह उत्तरदायी है ।	ग्राम परिषद के अधिकारी और कर्मचारी